साक्षी क्रमांक–05 लगातार.....

29

नोटः– साक्षी का दिनांक 24.06.2026 को प्रतिपरीक्षण स्थगित किया गया था । साक्षी **उपनिरीक्षक अलंगो दास अ.सा. 05** आज दिनांक 01.07.2026 को न्यायालय में उपस्थित है । अतः साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर उसका स्थगित प्रति परीक्षण आरंभ किया जा रहा है ।

साक्ष्य प्रारंभ समयः– 01:00 बजे

प्रति परीक्षण द्वारा श्री के.बी. नामदेव डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल वास्ते अभियुक्त अमन साहू एवं सौरभ साहू

82. यह कहना सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक 29.01.2024 से 31.12.2024 तक होना उल्लेखित है । यह कहना सही है कि थाना में घटना की सूचना प्राप्ति दिनांक 29.03.2025 है । यह कहना सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त सौरभ साहू एवं अमन साहू के विरूद्ध नामजद अपराध नहीं है ।

83. यह कहना सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की कंडिका क्रमांक 12 में घटना दिनांक का कोई उल्लेख नहीं है । यह कहना सही है कि संदर्भित पत्र क्रमांक पू.भू./पू.भू.नि./नि.स.17/2025 नवा रायपुर, दिनांक 03.03.2025 को प्रकरण में संलग्न नहीं किया गया है ।

84. यह कहना गलत है कि अनुसंधान के दौरान मुझे प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित एवं संलग्न दस्तावेज यथा– के.वाई.सी. डिटेल 14 प्रति, दीगर राज्य में दर्ज कम्प्लेंट डिटेल, बैंक खाता डिटेल उपरोक्तानुसार, प्राप्त नहीं हुए थे । यह कहना सही है कि मैंने प्रथम बार जब अभियोग पत्र प्रस्तुत किया उसमें कम्प्लेंट डिटेल संलग्न नहीं की थी । यह कहना गलत है कि बैंक खाता डिटेल भी संलग्न नहीं की थी । स्वतः कहा कि

अभियुक्त सोनू कुमार के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण का बैंक खाता डिटेल संलग्न किया गया था । यह कहना सही है कि कम्प्लेंट डिटेल को मेरे द्वारा पूरक चालान के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया । यह कहना सही है कि अभियुक्त सोनू कुमार की बैंक खाता डिटेल को मेरे द्वारा पूरक चालान के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है । स्वतः कहा कि पूर्व में प्रस्तुत डिटेल स्पष्ट नहीं थी, इस कारण स्पष्ट डिटेल प्रस्तुत की है ।

85. यह कहना गलत है कि मूल चालान में एवं पूरक चालान के कंडिका 12 के विवरण में अभियुक्त सौरभ साहू एवं अमन साहू का नाम उल्लेखित नहीं है । यह कहना सही है कि अभियुक्त सौरभ साहू के खाते में आई राशि कहां से आई, किसने भेजा, उसका स्त्रोत क्या था आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए अभियुक्त को धारा 94 भारतीय न्याय संहिता का नोटिस नहीं दिया था ।

86. यह कहना सही है कि सूरजपुर के न्यायालय में अभियुक्त सौरभ साहू एवं अमन साहू के विरूद्ध थाना सूरजपुर के अपराध क्रमांक 150/2025 का प्रकरण विचाराधीन है । यह कहना सही है कि उक्त अपराध पंजीबद्ध होने के पश्चात थाना बैकुण्ठपुर में मौजूदा अपराध क्रमांक 119/2025 दर्ज किया गया है ।

87. मुझे जानकारी नहीं है कि सूरजपुर के अपराध क्रमांक में अभियुक्त सौरभ साहू के एस.बी.आई. खाता शाखा बिश्रामपुर के जिस विवरण को लगाया है, उसी विवरण को मौजूदा प्रकरण में लगाया गया है । यह कहना सही है कि अभियुक्त सौरभ साहू के एस.बी.आई. खाता शाखा बिश्रामपुर के स्टेटमेंट को इस प्रकरण में जब्त नहीं

किया है । स्वतः कहा कि संलग्न किया गया है । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा बैकुण्ठपुर अथवा बिश्रामपुर के एस.बी.आई. शाखा के किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में संयोजित नहीं किया गया है । यह कहना गलत है कि जो स्टेटमेंट मैंने प्रकरण में प्रतिवेदन देकर प्राप्त कर संलग्न किया है, उसकी शुद्धता के संबंध में कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है ।

88. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा मुख्य परीक्षण की कंडिका 64 में दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 18.07.2025 तक ₹36,75,181.00 को अवैध राशि का संव्यवहार होना बताया गया है । यह कहना सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपराध की घटना दिनांक 29.01.2024 से 31.12.2024 तक होना उल्लेखित है । उक्त दोनों में से प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखी दिनांक के मध्य अपराध हुआ है एवं कंडिका 64 में जो बात बताई है, उसके अनुसार खाते में संव्यवहार हुआ है ।

89. यह कहना सही है कि अभियुक्त सौरभ साहू की ओर से माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में प्रस्तुत जमानत याचिका एम.सी.आर.सी. 7816/2025 में पुलिस अधीक्षक कोरिया द्वारा यह शपथ पत्र दिया गया था कि अभियुक्त सौरभ साहू के खाते में दिनांक 16.11.2024 से 18.07.2025 तक ₹15,67,273.00 का संव्यवहार हुआ है । मौजूदा प्रकरण में अभियुक्त सौरभ साहू के खाते में ₹36,75,181.00 का संव्यवहार हुआ है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि पुलिस अधीक्षक कोरिया द्वारा शपथ पत्र में उल्लेखित उक्त राशि सही है अथवा गलत है ।

90. यह कहना सही है कि अभियुक्त सौरभ साहू के एस.बी.आई खाते के

स्टेटमेंट प्र.पी. 25 में किस किस दिनांक को तथा कौन कौन सी राशि ठगी से प्राप्त राशि एवं चुराई गई राशि है, के बारे में नहीं बता सकता हूँ । यह कहना सही है कि स्टेट बैंक शाखा बैकुण्ठपुर से लिया गया प्रमाण पत्र धारा 63(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सौरभ साहू का बैंक खाता क्रमांक 34040235481 उल्लेखित है, वह सौरभ साहू का खाता नहीं है । स्वतः कहा कि प्रमाण पत्र में उक्त खाता क्रमांक के आखिरी तीन अंक टाइपिंग की त्रुटि के कारण गलत लिखे गए हैं, अंतिम तीन अंक 841 हैं एवं उक्त खाता अभियुक्त सौरभ साहू का है एवं स्टेटमेंट प्र.पी. 23 में खाते के अंतिम तीन अंक 841 उल्लेखित हैं ।

नोटः– चायकाल का समय होने से साक्षी का **प्रति परीक्षण** इसी स्तर पर **स्थगित** किया गया ।

समय–02:00 बजे

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया,
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

Sd/-
आशीष पाठक
विशेष न्यायाधीश अंतर्गत अनुसूचित
जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण)
बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.)

Sd/-
आशीष पाठक
विशेष न्यायाधीश अंतर्गत अनुसूचित
जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण)
बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.)

नोटः–चायकाल पश्चात् साक्षी का **प्रतिपरीक्षण** पुनः आरंभ किया गया।

समय–03:00 बजे

91. यह कहना सही है कि अभियुक्त सौरभ साहू के खाते की राशि के संबंध में कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं है । यह कहना सही है कि सिर्फ लेन–देन के डिटेल से यह नहीं कहा जा सकता कि वह राशि ऑनलाइन ठगी की है अथवा चुराई गई संपत्ति की

राशि है । यह कहना सही है कि अभियुक्त सौरभ साहू एवं अमन साहू से किसी भी प्रकार के दस्तावेज जब्त नहीं किए गए हैं ।

92. यह कहना सही है कि अभियुक्त सौरभ साहू के खाते से अन्य किसी भी अभियुक्तगण के खाते में किसी भी राशि का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है । यह कहना सही है कि अभियुक्त अमन साहू के किसी भी बैंक खाते के संबंध में मेरे द्वारा अनुसंधान नहीं किया गया है एवं विवरण संलग्न नहीं किया गया है । यह कहना गलत है कि अभियुक्त अमन साहू द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण का बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा बैकुण्ठपुर में खाता खुलवाने के संबंध में मेरे द्वारा कोई साक्ष्य संग्रहित नहीं किया गया है । स्वतः कहा कि स्वतंत्र साक्षी भूपेन्द्र सोनवानी का उक्त संबंध में कथन मेरे द्वारा लिया गया है । यह कहना सही है कि अंतिम प्रतिवेदन में भूपेन्द्र सोनवानी का नाम साक्ष्य सूची में उल्लेखित नहीं है ।

93. यह कहना सही है कि प्रकरण में मेरे द्वारा किसी भी अभियुक्त का मेमोरेंडम कथन नहीं लिया गया है । यह कहना सही है कि अभियुक्त सौरभ साहू के खाते का उपयोग म्यूल खाते के रूप में नहीं किया गया है । यह कहना गलत है कि सहअभियुक्तगण ने मुझे अपना कोई पुलिस कथन नहीं दिया है । यह कहना गलत है कि सहअभियुक्तगण का पुलिस कथन मैंने अपने मन से लेखबद्ध किया है ।

94. यह कहना सही है कि अभियुक्त अमन साहू ने सहअभियुक्त के म्यूल खाते में चुराई हुई संपत्ति या ठगी गई संपत्ति को उनके बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा बैकुण्ठपुर के खाते में बेइमानी से नहीं रखवाया एवं न ही उसे छिपाया गया था । यह कहना गलत है

कि अभियुक्त सौरभ साहू एवं अमन साहू के पुलिस कथन में राम नामक व्यक्ति कौन है, उसका पता क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, इस संबंध में मैंने कोई जांच नहीं किया है । स्वतः कहा कि मैंने जांच किया, किन्तु सिर्फ राम निवासी भोपाल होने से उसका पता नहीं चला ।

95. यह कहना गलत है कि मैंने राम नामक काल्पनिक व्यक्ति को आधार बनाकर अपने मन से अभियुक्त सौरभ साहू एवं अमन साहू का पुलिस कथन तैयार किय हूँ । यह कहना गलत है कि अभियुक्त सौरभ साहू एवं अमन साहू ने मुझे कोई भी पुलिस कथन नहीं दिया था । मैं नहीं बता सकता हूँ कि अभियुक्त सौरभ साहू की पत्नि का नाम आरती साहू है ।

96. यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा अभियुक्त सौरभ साहू एवं अमन साहू को गलत आधारों पर मौजूदा प्रकरण में संलिप्त किया गया है ।

प्रति परीक्षण द्वारा श्री संजय मलिक अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त अक्षय कुमार

97. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा पीडित फुरकन के खाते से आरोपी अक्षय कुमार सोनवानी के खाता क्रमांक 60508244751 में आनलाईन रकम 30,000/– रुपये के द्वारा ऑनलाईन फ्रॉड होने के संबंध में अनुसंधान के दौरान पीड़ित फुरकन से किसी भी माध्यम से संपर्क कर पूछताछ नहीं की गई है एवं कथन नहीं लिया गया है ।

98. यह कहना सही है कि अभियुक्त अक्षय के खाते में जिस रकम का संव्यवहार होना जो मैंने बताया है, उक्त रकम उसके खाते में कैसे आई, इस संबंध में अभियुक्त

अक्षय को धारा 94 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नोटिस देकर जानकारी प्राप्त नहीं की गई थी । यह कहना सही है कि मैंने अभियुक्त का कोई मेमोरेंडम नहीं लिया था । यह कहना सही है कि अभियुक्त अक्षय कुमार द्वारा पीड़ित फुरकन से फोन, व्हाट्सएप अथवा अन्य किसी सोशल मीडिया माध्यम से संपर्क किया गया हो, इस संबंध में मेरे द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया है ।

99. यह कहना सही है कि प्रत्येक बैंक एवं ए.टी.एम. स्थान पर कैमरा लगा होता है । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा इस प्रकरण में अनुसंधान के दौरान बैंक ऑफ महाराष्ट्र अथवा किसी भी बैंक एवं ए.टी.एम. के कैमरा का फुटेज प्रकरण में संलग्न नहीं किया गया है । यह कहना गलत है कि अभियुक्त अक्षय द्वारा उसके खाते में रकम के संव्यवहार के संबंध में उसके द्वारा मुझे कोई कथन नहीं दिया गया है ।

100. यह कहना सही है कि पीड़ित पक्ष के एकनॉलेजमेंट नंबर में उसका पता लिखा होता है । यह कहना गलत है कि अभियुक्त अक्षय कुमार द्वारा पीड़ित फुरकन से किसी प्रकार से कोई ठगी नहीं की गई है । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा आधी अधूरी विवेचना कर अक्षय कुमार को गलत आधार पर अभियुक्त बनाया गया है ।

प्रति परीक्षण द्वारा श्रीमति संध्या सिंह अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त विकास नेताम, परमेश्वर एवं अर्जुन

101. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा अभियुक्त विकास, परमेश्वर एवं अर्जुन का मेमोरेंडम कथन नहीं लिया गया है । यह कहना सही है कि शिकायतकर्तागण से अभियुक्तगण का बातचीत होने व्हाट्सएप, टेक्ट मैसेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक

आदि के माध्यम से संपर्क होने से संबंधित कोई भी साक्ष्य प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है । यह कहना गलत है कि अभियुक्त विकास, परमेश्वर एवं अर्जुन द्वारा षडयंत्र कर एकराय होकर धोखाधड़ी करने का कोई कार्य नहीं किया गया है ।

102. यह कहना सही है कि अभियुक्त विकास, परमेश्वर एवं अर्जुन द्वारा स्वयं कोई साइबर फ्रॉड नहीं किया गया है । स्वतः कहा कि उक्त अभियुक्तगण द्वारा साइबर अपराध की रकम के लेन देन हेतु बैंक खाता को संगठित गिरोह को उपलब्ध कराया गया था । यह कहना सही है कि अभियुक्त विकास, परमेश्वर एवं अर्जुन के फोन कॉल डिटेल एवं सोशल मीडिया मैसेज का विवरण प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है । यह कहना सही है कि अभियुक्त विकास, परमेश्वर एवं अर्जुन के खाते में आई चिन्हांकित बड़ी रकम किसके द्वारा, कहां पर आहरित की गई है, इस संबंध में कोई प्रकरण में साक्ष्य संलग्न नहीं हैं ।

103. यह कहना सही है कि ए.टी.एम. द्वारा निकासी किए जाने पर बैंक को पता चल जाता है कि किस लोकेशन से पैसा निकाला गया है । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा बैंक से ऐसा कोई डिटेल नहीं मांगा गया है । यह कहना सही है कि यू.पी.आई से यू.पी.आई. ट्रांजेक्शन करने के लिए खाता क्रमांक की जरूरत नहीं होती है । स्वतः कहा कि यू.पी.आई. मोबाइल नंबर का बैंक के खाता क्रमांक से लिंक होने व के.वाई.सी. होने पर ही यू.पी.आई. से यू.पी.आई. ट्रांजेक्शन संभव है ।

104. दीगर राज्य के पीड़ितगण का उनके साथ किस प्रकार से एवं कैसे तथा किस माध्यम से फ्रॉड हुआ, इस संबंध में मेरे द्वारा कोई विवेचना नहीं की गई है । यह

कहना सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरे द्वारा दर्ज नहीं किया गया है । यह कहना सही है कि अभियुक्त विकास, परमेश्वर एवं अर्जुन के खाते में आई रकम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अभियुक्त विकास, परमेश्वर एवं अर्जुन को मेरे द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है ।

105. यह कहना सही है कि अभियुक्त विकास, परमेश्वर एवं अर्जुन का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा प्रकरण में अभियुक्त विकास, परमेश्वर एवं अर्जुन को संलिप्त करने हेतु फर्जी कार्यवाही की गई है । यह कहना गलत है कि मैंने अभियुक्त विकास, परमेश्वर एवं अर्जुन का फर्जी बैंक ट्रांजेक्शन संलग्न किया है ।

साक्ष्य समाप्त समय– 05:00 बजे ।

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया,
सही होना स्वीकार किया।

Sd/-
आशीष पाठक
विशेष न्यायाधीश अंतर्गत अनुसूचित
जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण)
बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

Sd/-
आशीष पाठक
विशेष न्यायाधीश अंतर्गत अनुसूचित
जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण)
बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.)